

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं.—01बी/2016

संस्थित दिनांक—18.02.2012

कलावती पत्नि कप्तान सिंह आयु 31 साल  
जाति लोधी धंधा गृहकार्य निवासी ग्राम नयाखेडा  
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादिनी

विरुद्ध

1. म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाधीश जिला अशोकनगर म0प्र0
2. मुख्य चिकित्साधिकारी जिला अशोकनगर म0प्र0
3. I.C.I.C.I. लोकबार्ड जनरल, इनश्योरेन्स  
कम्पनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक  
शाखा—भोपाल म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 13.04.2018 को पारित ::

- 01:— यह वाद वादी कलावती बाई का L.T.T. ऑपरेशन असफल होने से शासकीय योजना के अंतर्गत 35,000/— रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रतिवादीगण से दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 02:— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कलावती एवं उसका पति कप्तान सिंह की वर्ष 2009 के पूर्व से दो संतान पुत्र रीतेश व पुत्री दीपाली है। वादी एवं उसके पति ने मध्यप्रदेश शासन के लाडली लक्ष्मी योजना से प्रेरित होकर परिवार नियोजन अपनाने का निर्णय लिया तथा भविष्य में सन्तान की उत्पत्ति हो उसके लिये वादी ने दिनांक 19.12.2009 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में अपना L.T.T. ऑपरेशन करवाया, जो डॉक्टर बी. एल. कुशवाह द्वारा किया गया था। वादी को यह विश्वास दिलाया गया था कि परिवार नियोजन अपनाने के बाद सन्तान की उत्पत्ति नहीं होगी, जिस पर विश्वास करके वादी ने अपना ऑपरेशन कराया था तथा सावधानियों का पालन किया था, परन्तु इसके उपरांत भी दिनांक 05.04.10 को वादी ने ललितपुर में जब अपना अल्ट्रा साउण्ड जांच कराई तो उसकी गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इस संबंध में वादी ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी जिला अशोकनगर को आवेदन भी प्रस्तुत किया था। परिवार नियोजन का ऑपरेशन विफल होने से दिनांक 22.08.10 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में वादी ने एक पुत्र सन्तान को जन्म दिया, जिसका नाम दीपक कुमार रखा गया। दिनांक 23.08.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी से मुक्त करके वादी को घर भेज दिया। वादी सावधानी बरतने के उपरांत भी गर्भवती हुई तथा वादी के सन्तान की उत्पत्ति हुई, जिसके लिये मध्यप्रदेश शासन उत्तरदायी है।
- 03:— वादी ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिये सन्तान उत्पन्न होने से पूर्व दिनांक 18.08.2010 को संबंधित अधिकारी को आवेदन भी दिया था परन्तु उसे क्षतिपूर्ति राशि प्रदान

नहीं हुई। कोई कार्यवाही न होने से दिनांक 12.11.10 को मध्यप्रदेश राज्य को धारा 80 सी.पी.सी. का सूचना प्रेषित कर 2,00,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि की मांग वादी के द्वारा की गई, परन्तु सूचना प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाद कारण परिवार नियोजन ऑपरेशन विफल होने से एवं सन्तान उत्पन्न होने से दिनांक 22.08.2010 को एवं मध्यप्रदेश राज्य को धारा 80 सी.पी.सी. का सूचना प्रेषित करने से दिनांक 22.11.2010 को उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् निर्णय के चरण क्रमांक 01 में वांछित सहायता प्राप्त करने बाबत 4,200/- रुपये न्यायशुल्क के साथ यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:- प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 प्रकरण में सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये, जिनके उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

05:- प्रतिवादी क्रमांक 03 के द्वारा अपने जबाबदावे में दावे के अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 03 का अपने अभिवचनों में कहना है कि वादी ने कथित बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं है और न ही पॉलिसी की अवधि, बीमाकर्ता व बीमा धारक का नाम स्पष्ट किया है। मध्यप्रदेश शासन के नियम अनुसार ऑपरेशन असफल होने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 03 को परेशान करने के लिये अनावश्यक पक्षकार बनाया है जिसके लिये प्रतिवादी क्रमांक 03 वादी से विशेष हर्जा 10,000/- रुपये प्राप्त करने का अधिकारी हैं अतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

06:- प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादिनी द्वारा दिनांक 19.12.2009 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में सन्तान उत्पत्ति रोकने बाबत L.T.T. ऑपरेशन कराया था ?	प्रमाणित है।
2.	क्या वादिनी उक्त ऑपरेशन के बाद भी गर्भवती हो गई थी ?	प्रमाणित है।
3.	क्या वादिनी म0प्र0 शासन से 35,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?	आंशिक प्रमाणित है।
4.	अनुतोष एवं व्यय ?	निर्णय के चरण क्र. 24 अनुसार प्रदान की गई।

## -सकारण निष्कर्ष:-

वाद प्रश्न क्रमांक-01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 07:- वादी के अभिवचनों के अनुसार वादी ने लाडली लक्ष्मी योजना से प्रेरित होकर परिवार नियोजन अपनाने के लिये दिनांक 19.12.09 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में अपना L.T.T. ऑपरेशन करावाया था, जो डॉक्टर बी. एल. कुशवाह के द्वारा किया गया था। परन्तु उक्त ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तथा बाद में दिनांक 22.08.2010 को पुनः वादी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उपरोक्त अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिये वादी कलावती बाई (वा0सा0-01) ने स्वयं के तथा डॉक्टर आर. पी. शर्मा (वा0सा0-02) व डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) व डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया (वा0सा0-04) के कथन न्यायालय में कराये हैं।
- 08:- कलावती बाई (वा0सा0-01) ने अपने सशपथ कथनों में अभिवचनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये हैं कि वर्ष 2009 तक उसके एक पुत्र रीतेश व एक पुत्र दीपाली थी, जिसके बाद पति से परामर्श करके उसने परिवार नियोजन अपनाने का फैसला लिया था, वादी का कहना है कि दिनांक 19.12.2009 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में अपना L.T.T. ऑपरेशन करावाया था तथा ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने यह विश्वास दिलाया था, कि ऑपरेशन सफल हुआ है तथा उसे अब कोई सन्तान उत्पन्न नहीं होगी। वादी का कहना है कि उसने लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये उक्त संपूर्ण कार्यवाही की थी।
- 09:- कलावती बाई (वा0सा0-01) का कहना है कि दिनांक 05.04.10 को गर्भवती होने की शंका होने पर उसने उक्त दिनांक को ही ललितपुर में अपना अल्ट्रा साउण्ट जांच कराई थी, जिससे उससे के गर्भवती होने की पुष्टि हो गई थी तथा परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने के बाद भी दिनांक 22.08.10 को उसने चंदेरी स्वास्थ्य केन्द्र में एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि अवांछित सन्तान थी, जिससे उसे और उसके पति को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- 10:- कलावती बाई (वा0सा0-01) ने परिवार नियोजन अपनाने के लिये L.T.T. ऑपरेशन करावाया था और L.T.T. ऑपरेशन के बाद उसे पुनः पुत्र सन्तान को जन्म देना पड़ा, इस संबंध में कलावती बाई (वा0सा0-01) के न्यायालय में सशपथ दिये गये कथन उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं जिसकी पुष्टि दावे के अभिवचनों से भी होती है। निश्चित रूप से वादी कलावती बाई (वा0सा0-01) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 09 में यह बताने में असमर्थ रही है कि ऑपरेशन किस सन् में हुआ था तथा किस डॉक्टर ने किया था, परन्तु इस साक्षी ने अखण्डित साक्ष्य देते हुये यह स्पष्ट किया है कि वह ऑपरेशन कराने अपने पति के साथ अपनी मर्जी से गई थी तथा उसने नसबंदी ऑपरेशन कराया था।
- 11:- कलावती (वा0सा0-01) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह स्पष्ट कहना है कि दूसरी सन्तान होने के तीन वर्ष के पश्चात् उसने अपना ऑपरेशन कराया था तथा

उसने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसने फार्म भरा था। वादी ने अपने समर्थन में प्रदर्श पी 01 का दस्तावेज L.T.T. ऑपरेशन किये जाने का प्रमाणपत्र है, दिनांक 22.08.2010 को वादी चंदेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती हुई तथा दिनांक 23.08.2010 को छुट्टी हुई इसको प्रमाणित करने के लिये अस्पताल का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 02 व वादी के तीसरे पुत्र दीप कुमार का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 03, जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड प्रदर्श पी 04, प्रसव पूर्व जांच प्रदर्श पी 05, अल्ट्रा साउण्ड रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 व 07 आदि दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं।

12:— डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि दिनांक 19.12.2009 को वह स्वयं खण्ड चिकित्साधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में पदस्थ था। डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) ने कलावती बाई (वा0सा0-01) की द्वारा दी गई अखण्डित साक्ष्य की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि दिनांक 19.12.2009 को वादी का L.T.T. ऑपरेशन अस्पताल में हुआ था, जिसके संबंध में उसने प्रदर्श पी 01 व 03 का प्रमाणपत्र अपने हस्ताक्षरों से जारी किया था। डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) ने इस बात की भी पुष्टि की है कि L.T.T. ऑपरेशन के बाद दिनांक 22.08.10 से दिनांक 23.08.2010 तक वादी अस्पताल में भती हुई थी तथा उसके प्रसव उसके मार्गदर्शन में हुआ था तथा प्रदर्श पी 04 व 05 उसी के कार्यालय के द्वारा जारी किया गया था।

13:— डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं तथा कलावती बाई (वा0सा0-01) व डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दी गई साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई। अतः अभिलेख पर कलावती बाई (वा0सा0-01) व डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 19.12.2009 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में परिवार नियोजन अपनाने के लिये सन्तान उत्पत्ति रोकने के लिये वादी ने अपना L.T.T. ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद उक्त ऑपरेशन असफल रहा तथा वादी को पुनः दिनांक 22.08.2010 को पुत्र को जन्म देना पड़ा। **अतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 व 02 प्रमाणित होने से उनका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।**

#### **वाद प्रश्न क्रमांक-03 व 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

##### **सहायता एवं वाद व्यय—**

14:— अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि दिनांक 19.12.2009 को वादी ने परिवार नियोजन अपनाने के लिये अपना L.T.T. ऑपरेशन करवाया था, परन्तु उक्त ऑपरेशन असफल रहा एवं उक्त ऑपरेशन के बाद भी दिनांक 22.08.2010 को पुनः एक सन्तान को जन्म देना पड़ा। कलावती बाई (वा0सा0-01) का कहना है कि परिवार नियोजन के बाद पुनः सन्तान होने से उसे व उसके पति को दुख होने के साथ आर्थिक परेशानी का सामना कर पड़ा रहा है एवं अवांछित सन्तान का पालन

पोषण भी करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में उसने क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने बाबत संबंधित अधिकारियों को आवेदन भी दिया था, परन्तु कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कलावती बाई (वा0सा0-01) के द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्श पी 08 का दस्तावेज जो कि खण्ड चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया गया पत्र है, अपने समर्थन में प्रस्तुत किया।

- 15:- कलावती बाई (वा0सा0-01) की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 08 के आवेदन को चुनौती देते हुये प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से डॉक्टर एस पी सिद्धार्थ (वा0सा0-03) के प्रतिपरीक्षण में प्रतिपरीक्षण किया गया है, जिसके संबंध में डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) का अपने कथनों की कण्डिका 02 में स्वयं यह कहना है कि वह नहीं बता सकता है कि प्रदर्श पी 08 का आवेदन दिनांक 18.08.2010 को कलावती बाई ने उसे दिया था या नहीं तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 03 में यह बात भी स्वीकार की है कि उस पर अस्पताल व विभाग की कोई शील अंकित नहीं है।
- 16:- यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से प्रदर्श पी 08 कलावती बाई के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी व खण्ड चिकित्साधिकारी को दिया गया था, जिसकी कोई प्राप्ति अभिलेख पर नहीं है परन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया (वा0सा0-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि कलावती बाई ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को प्रदर्श पी 15 का पत्र ऑपरेशन विफल होने के बाद दिया था, जो कि मूल रूप से उनके शासकीय अभिलेख में है, जिसकी मूल से मिलान की प्रति प्रदर्श पी 15 सी अभिलेख पर प्रस्तुत है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि भले ही यह प्रमाणित न होता हो कि प्रदर्श पी 08 का आवेदन कलावती के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी व खण्ड अधिकारी को ऑपरेशन विफल होने के बाद दिया गया था, परन्तु डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया (वा0सा0-04) ने उपरोक्त कथनों प्रदर्श पी 15 सी के दस्तावेज से इस बात की पुष्टि होती है कि ऑपरेशन विफल होने के बाद कलावती बाई ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिये प्रदर्श पी 15 सी का पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को दिया था।
- 17:- डॉक्टर आर. पी. शर्मा (वा0सा0-02) व डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि L.T.T. ऑपरेशन यदि असफल होता है तो महिलाओं को 30,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावेगी। डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी प्रकरण यदि आता है तो वह उसे तैयार करके मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष भेज देते हैं, परन्तु डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) का कहना है कि कलावती बाई के संबंध में फाईल संलग्न न होने से वह बताने की स्थिति में नहीं है कि मुख्य चिकित्साधिकारी को कलावती बाई का प्रकरण भेजा था या नहीं।

- 18:- डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वा0सा0-03) ने भले ही अपने न्यायालीन कथनों में कलावती

बाई का L.T.T. ऑपरेशन विफल होने के बाद क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का प्रकरण मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजे जाने की जानकारी होने से इन्कार किया है, परन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया (वा0सा0-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वर्ष 2009 में महिलाओं के T.T. ऑपरेशन का बीमा I.C.I.C.I. लोम वार्ड कंपनी होता था तथा कलावती बाई का भी L.T.T. ऑपरेशन चंदेरी में हुआ था, जो असफल होने पर उसकी रिपोर्ट खण्ड चिकित्साधिकारी के द्वारा मय पत्रकों के उसे प्रेषित की गई थी, जिसमें प्रदर्श पी 01 लगायत 06 की दस्तावेजों की प्रतियां भी शामिल है। इस साक्षी ने अपने परीक्षण की कण्डिका 03 में यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन विफल होने पर I.C.I.C.I. लोम वार्ड कंपनी 30,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि पीडित को अदा करती थी, जो वर्ष 2013 तक कंपनी करती थी तथा उसके बाद का भुगतान मध्यप्रदेश शासन करता है क्योंकि I.C.I.C.I. लोम वार्ड कंपनी से अनुबंध समाप्त हो गया है।

19:- अतः अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि कलावती बाई का L.T.T. ऑपरेशन असफल होने के बाद स्वयं खण्ड चिकित्साधिकारी चंदेरी डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वासा-03) के द्वारा कलावती बाई (वा0सा0-01) को क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र मानते हुये उसका प्रक्रम मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजा था तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा उक्त प्रकरण I.C.I.C.I. लोम वार्ड कंपनी को भेजा गया था, इसकी पुष्टि डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया (वा0सा0-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा इस बाबत उनकी ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 14 सी, 15 सी, 16 सी, 17 सी के दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है।

20:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण की कण्डिका 03 में यह स्पष्ट किया है कि I.C.I.C.I. लोम वार्ड कंपनी ने कलावती बाई को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं की और न ही C.M.H.O. कार्यालय को क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का कोई पत्र प्राप्त हुआ है। अतः कलावती बाई (वासा-01) का यह कहना कि उसे पात्रता होने के बाद भी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुई इसकी पुष्टि स्वयं जे. आर. त्रिवेदिया (वासा-04) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है। डॉक्टर जे. आर. त्रिवेदिया (वासा-04) के द्वारा दी गई साक्ष्य से इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नहीं रह जाती है कि कलावती बाई का प्रकरण भी C.M.H.O. कार्यालय से I.C.I.C.I. लोम वार्ड कंपनी को भेजा गया था, परन्तु कम्पनी के द्वारा कलावती बाई को क्षतिपूर्ति राशि का न तो भुगतान किया और न ही उसे अस्वीकृत करने का कोई कारण दर्शाया गया।

21:- वर्तमान प्रकरण में भी प्रतिवादी क्रमांक 03 के रूप में I.C.I.C.I. लोमवार्ड कम्पनी पक्षकार है, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि वास्तव में कलावती बाई (वासा-01) को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ। C.M.H.O. कार्यालय के द्वारा पूरी कागजी कार्यवाही करते हुये कलावती बाई (वासा-01) को क्षतिपूर्ति राशि शासकीय योजना के अंतर्गत पाने का पात्र मानते हुये उसका प्रकरण I.C.I.C.I. लोमवार्ड कम्पनी को भेजा

गया, परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर एवं धारा 80 सी. पी. सी. का सूचना पत्र प्रेषित किये जाने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

22:- कलावती बाई (वासा-01) अनपढ़ ग्रामीण महिला हैं, जिसे निश्चित रूप से इस बात की जानकारी न होना स्वाभाविक है कि कौन सी कंपनी किस प्रकार एवं किस योजना के तहत उसे क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करेगी। उसने शासकीय योजनाओं का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रचार प्रसार के कारण परिवार नियोजन अपनाने का फैसला लिया और यदि C.M.H.O. कार्यालय से उसे क्षतिपूर्ति राशि पाने का पात्र माना गया है, तो शासकीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन के संबंध में हुआ, ऑपरेशन असफल होने के बाद निश्चित रूप से वह क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की पात्र है।

23:- वादी के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 35,000/- रुपये दिलाये जाने की सहायता चाही है, परन्तु वादी ने अपने ओर से ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया है कि L.T.T. ऑपरेशन विफल होने के बाद 35,000 रुपये क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान शासकीय योजना में किया है। स्वयं वादी साक्षी डॉक्टर आर. पी. शर्मा (वासा-02) डॉक्टर एस. पी. सिद्धार्थ (वासा-03) व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जे. आर. त्रिवेदिया (वासा-04) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट बताया है कि L.T.T. ऑपरेशन विफल होने के बाद 30,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि पीडित को अदा की जाती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि वादी L.T.T. ऑपरेशन विफल होने के बाद 35,000/- रुपये के स्थान पर 30,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को प्राप्त करने का अधिकार रखती है। **वाद प्रश्न क्रमांक 03 आंशिक रूप से प्रमाणित होने पर उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।**

24:-राज्य शासन का भले ही वर्ष 2013 में I.C.I.C.I. लोमवार्ड कम्पनी से क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का अनुबंध समाप्त हो गया हो, परन्तु पूर्व में प्राप्त होने वाली सहायता से वादी को वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसमें वादी का कोई दोष नहीं है। वादी को क्षतिपूर्ति राशि L.T.T. ऑपरेशन विफल होने के बाद अदायगी योग्य है, जिसके भुगतान का प्रथम दायित्व मध्यप्रदेश राज्य का है। परिणाम स्वरूप वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रही है। जिसको देखते हुये यह वाद स्वीकार कर निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- वादी कलावती बाई को L.T.T. ऑपरेशन असफल होने के कारण 30,000/- रुपये मय 06 प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर (दावा दायरी दिनांक 08.02.2012 से भुगतान किये जाने की तिथि तक) मध्य प्रदेश राज्य से क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त करने के अधिकारी द पोषित किये जाते हैं।

02:- जिलाधीश अशोकनगर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर 02 माह की अवधि में इस संबंध में सभी कार्यवाही पूर्ण

वादी को क्षतिपूर्ति राशि का मय ब्याज के भुगतान होना सुनिश्चित करावें।

03:- मध्य प्रदेश राज्य से हुये अनुबंध के आधार यदि उक्त क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का दायित्व I.C.I.C.I. लोमवार्ड कम्पनी का पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य विधि के अनुसार उक्त राशि की वसूली I.C.I.C.I. लोमवार्ड कम्पनी से करने के लिये स्वतंत्र है।

04:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

05:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.